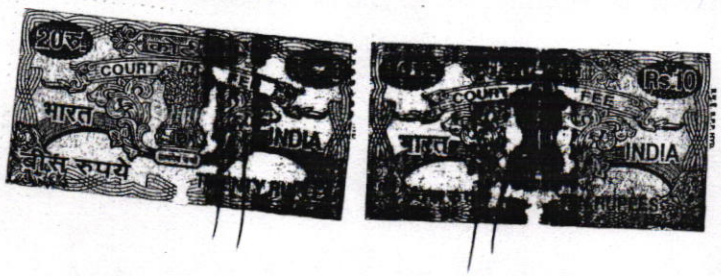

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 2017-18 निगरानी R 5194/2018

1– ओमप्रकाश पिता श्री सीतारामदास,

2– कलाबाई विधवा श्री सीतारामदास,

3– गायत्री बाई पिता श्री सीतारामदास

4– ताराबाई पिता श्री सीतारामदास

समस्त निवासीगण–ग्राम मण्डोदा तहसील मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर ----आवेदक

विरूद्ध

1– रामूबाई विधवा भैरूजी

2– उमेश पिता भैरूजी

3– तेजु पिता भैरूजी,

4– मुंशी पिता भैरूजी

5– कमल पिता भैरूजी

समस्त निवासीगण–ग्राम करजू तहसील मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर -----अनावेदक

प्राप्त द्वारा सुखदेव रूदाहेड़ दिनांक 10/7/18 अधीक्षक आयुक्त कार्यालय उज्जैन

अधीनस्थ न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 275/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 27/06/2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

अपीलांट की ओर से निम्नलिखित अपील सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, अनावेदकगण के पिता एवम् पति भैरू पिता सूरजा के द्वारा जन सुनवाई में दिनांक 03/06/2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि सर्वे क्रमांक 35/4 रकबा 1.01 हे. के संबंध में आवेदक के पिता से कब्जा पुनः दिलवाने हेतु निवेदन किया । सूचना प्राप्ति उपरान्त आवेदक के पिता श्री सीतारामदास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर व्यक्त

निरन्तर.......2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5194/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/12/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाकर अनावेदक की पट्टे पर प्राप्त भूमि पर आवेदक का अवैध रूप से कब्जा होने का तथ्य प्रमाणित पाए जाने पर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि पर से कब्जा छोड़कर अनावेदक को सौंपे जाने का जो आदेश पारित किया गया था, वह विधिसम्मत था। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मात्र सुनवाई का अवसर न दिए जाने के तथ्य के आधार पर निरस्त करने में त्रुटि की है। जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष सभी हितबद्ध पक्षकारों कों सुनवाई का समुचित अवसर प्रदाय किया गया है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	